

राजस्थान सरकार  
विशेष योग्यजन निदेशालय

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

फोन नं.: 0141-2222267, फेक्स नं.: 0141-2222249, ई-मेल: [sieraj\\_dis@yahoo.com](mailto:sieraj_dis@yahoo.com)

क्रमांक : नि.वि.यो./स्टोर/ 2017-18 21380

जयपुर, दिनांक: 13/2/18

संशोधित आदेश

दिनांक 14.02.2018 को टू व्हीलर (स्कूटर्स) विद साईड व्हील अटैचमेन्ट/रेट्रोफिटमेन्ट के लिये जारी ई-निविदा सूचना 1/2017-18 के संबंध में आयोजित प्री बिड मिटिंग में प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुये निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं।

प्राईस शिडयूल (बी.ओ.क्यू.) के कॉलम नम्बर 4 RATE PER UNIT के स्थान पर RATE PER UNIT INCLUSIVE FREIGHT AND GST किया जाता है तथा कॉलम संख्या 6 व 7 को विलोपित किया जाता है।

वाहन का प्रथम पंजीयन संबंधित विभाग के अधिकारी के नाम से किया जा सकेगा तत्पश्चात जिस विशेष योग्यजन को संबंधित टू-व्हीलर आवंटित किया जाना है उन विशेष योग्यजनों के नाम से स्वामित्व हस्तान्तरण किया जायेगा।

उक्त संशोधन निविदा का एक सारवान भाग है अतः तकनीकी बिड प्रस्तुत करते समय इस पर भी सहमति के रूप में हस्ताक्षर करते हुये अपलोड करना आवश्यक होगा।

  
(अनुपमा जोरघाल)  
निदेशक